उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, नेपाल हाऊस परिसर, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

Advertisement No.:- 2/वि01–80/2022 - 608 Date: 03/04/2025

अल्पकालीन निविदा सूचना

उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची अंतर्गत कार्यालय उपयोग हेतु प्रति माह मासिक किराये पर 02 वाहन उपलबध कराने के लिए ट्रांसपोर्टस के माध्यम से अल्पकालीन मुहरबंद सील निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकर्त्ता संबंधित निविदाफॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची के कार्यालय कमरा सं0– 317, तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाऊस परिसर, डोरण्डा राँची, झारखण्ड में स्वयं या अपने नामित प्रतिनिधि के द्वारा या Registered Post/ Speed Post के माध्यम से दिनांक– 04.04.2025 से 10.04.2025 के अपराहन् 04:00 बजे तक जमा कर सकते है। अल्पकालीन निविदाफॉर्म एवं संबंधित विस्तृत विवरणी को उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस 11:00 बजे पूर्वाहन् से 05:00 बजे अपराहन् तक प्राप्त किया जा सकता है या अधिकृत वेबसाईट www.Jharkhand.gov.in/hte से भी Download किया जा सकता है। उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची, उक्त निविदा को किसी भी समय निरस्त या स्थगित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

03/4/25.

(सुधीर कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
योजना भवन, नेपाल हाऊस कैम्पस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

आवेदन पत्र

01. आवेदक/संस्थान का नामः–..
(आवेदक का आई डी, यथा–चालक लाईसेंस, पासपोर्ट, वोटर आई डी, निवास प्रमाण पत्र, आधार कॉर्ड आदि की स्वः अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)।

02. पताः– ....
....
....

03. दूरभाष संख्या :– ....

04. GST निबंधन संख्या (यदि कोई हो तो):–..

05. आयकर पैन संख्याः–..

06. गत वर्ष के किए गए कार्यों का विवरण (यदि कोई हो) प्रति संलग्न की जाय (वैकल्पिक)

07. आवेदन की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत/पार्टनरशिप)

वाहन का मासिक दर

क्र0सं0	वाहन का नाम	वाहन का किराया प्रतिमाह के लिए (1300 कि0मी0 तक एवं चालक सहित)	माईलेज प्रति ली0 (ईधन के प्रकार के साथ) AC/Non AC
1.	टाटा जेस्ट		
2.	स्वीफ्ट डिजायर		
3.	हुंडई एक्सेंट		

उपरोक्त में से किसी एक वाहन का चयन निविदा निष्पादन हेतु गठित समिति के निर्णय के आलोक में किया जायेगा।

घोषणा पत्र

मैं सशपथ घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा विभाग की विज्ञापन संख्या .... दिनांक .... के अंतर्गत आवेदनकर्त्ता हेतु सामान्य नियम एवं शर्त्तो में निहित तथ्यों का अवलोकन किया गया है और उसे भली भाँति समझा गया है। मैं विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तों पर वाहन मासिक किराया के आधार पर देने के लिए सहमत हूँ।

स्थानः–...........................
दिनांकः–.........................

आवेदक/संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

<u>सामान्य नियम एवं शर्तेः–</u>

01. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दो वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ी की आपूर्त्ति नहीं की जायगी।
02. आपूर्त्ति किया जाने वाला वाहन उचित गुणवत्ता का होना चाहिए। वाहन की आंतरिक साज–सज्जा, यथा–सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बल्ब, फुटमैट आदि उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए।
03. वाहन के टायर, बैट्री, हेडलाईट बीम, ब्रेक, इंडीकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य एसेशरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए।
04. वाहन नियमानुसार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, वाहन का बीमा, प्रदूषण पत्र आदि वैध एवं लाईसेंस आदि सभी पर होने वाले व्यय का वहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जायेगा।
05. वाहन पर तैनात किये जाने वाले चालक का लाईसेंस वैध होना चाहिए तथा अनुभवी एवं दक्ष होने के साथ–साथ उसका आचरण मृदुभाषी एवं अनुशासित होना चाहिए। साथ ही वह किसी पुलिसवाद आदि में दोषी नहीं होना चाहिए। विभाग द्वारा किसी चालक के संबंध में पुलिस सत्यापन की अपेक्षा की जा सकती है। चालक के संदिग्ध आचरण की स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल दूसरे चालक की व्यवस्था करने हेतु निदेशित किया जा सकता है।
06. मार्ग में होने वाले किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन संबंधित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जायेगा।
07. आपूर्तिकर्त्ता का यह दायित्त्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईधन, मरम्मत अथवा वाहन संबंधी अन्य व्यय किया जा सके।
08. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Break down) होने पर आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी।
09. वाहन का उपयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकेगा।
10. वाहन में लॉगबुक के अतिरिक्त एक शिकायत /सुझाव पुस्तिका आपूर्तिकर्त्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करायी जाएगी।
11. मासिक किराए का भुगतान विभाग द्वारा नियमानुसार प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत 30 दिन के भीतर आयकर (TDS) की कटौती कर उनके बैंक एकाउन्ट में किया जायेगा।
12. आवेदनकर्त्ता को इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक का नाम राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग/निगम की काली सूची में अंकित नहीं किया गया हो।
13. आवेदक को इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदन या उसके पार्टनर या कम्पनी के विरूद्ध किसी प्रकार के पुलिस/विजिलेंस जांच विचाराधीन नहीं है ओर न ही उन्हें किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दण्डित किया गया है।
14. आवेदन के साथ विगत वर्षो में किए गए कार्य संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. आवेदन के साथ इस आशय का घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक, आवेदन पत्र में उल्लिखित संख्या में वाहन उपलब्ध कराने को तैयार है।

16. विभाग किसी भी समय आवेदन प्रक्रिया की तिथियों का परिवर्त्तन कर सकता है या बिना कारण बताये निविदा को संशोधित/रद्द कर सकता है।

17. आवेदक द्वारा अपना प्रस्ताव इस आवेदन पत्र में दिये गए प्रारूप के अनुसार ही तैयार करना होगा। प्रस्ताव के निर्धारित प्रारूप में नहीं होने पर विभाग द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाएगा।

18. अपठनीय/अहस्ताक्षरित आवेदन को विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

19. आवेदन एवं उससे संबंधित संलग्नक को मुहरबंद लिफाफे में निम्नांकित पता पर समर्पित किया जाएगाः–

    सरकार के अवर सचिव
    उच्च शिक्षा निदेशालय,
    कमरा सं0–317, तृतीय तल, योजना भवन (नेपाल हाऊस), डोरण्डा, राँची, झारखण्ड– 834002

20. लिफाफे के उपर ‘‘बाह्य स्त्रोत से वाहन की आपूर्त्ति’’ लिखा रहना चाहिए। साथ ही, आवेदक का पता पूर्ण रूप से एवं दूरभाष संख्या भी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

21. डाक में आवेदन गुम होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का उत्तरदायित्त्व विभाग का नहीं होगा। ऐसे आवेदनों को बिना खोले लौटा दिया जायेगा।

22. वाहन का चयन सर्वसम्मति से निविदा निष्पादन हेतु गठित समिति के निर्णय के आलोक में समर्पित न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा।

23. यदि दो आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा समर्पित दर एक समान पाया जाता है तो निविदा निष्पादन समिति का निर्णय मान्य होगा।